संख्या: 48 /2025/ 1146/तीस-1-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 13 नवम्बर, 2025

विषय: जनपद-बिजनौर की तहसील धामपुर में बस स्टेशन के पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-873बी/डीए/प0/25, दिनांक 02.09.2025 एवं पत्र संख्या-328बी/डीए/प0/25, दिनांक 11.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-बिजनौर की तहसील धामपुर में बस स्टेशन के पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-20/2024/402/तीस-1-2024, दिनांक 16.03.2024 द्वारा आंकलित लागत रू0 313.05 लाख (सेन्टेज चार्जेज, जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस सहित) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 47.0835 लाख अवमुक्त की गयी। उक्त निर्माण हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02.09.2025 जनपद-बिजनौर की तहसील धामपुर में बस स्टेशन के पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये स्वीकृत लागत रू0 313.05 लाख के सापेक्ष टेण्डर वैल्यू के आधार पर उक्त परियोजना की लागत रू0 305.87 लाख में से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 258.7865 लाख (रू0 दो करोड़ अठावन लाख अठहत्तर हजार छः सौ पचास मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(8) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।
(9) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
(10) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।
(11) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम को होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।
(13) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।
(14) परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पीपीपी माडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।
(15) अन्य समस्त शर्ते पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-20/2024/402/तीस-1-2024, दिनांक 16.03.2024 के अनुरूप यथावत रहेंगी ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 043-परिवहन विभाग के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड्डों के निर्माण में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या- E-9-83-X-2025-26 दिनांक: 10.11.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 48 / 2025/1146(1) /तीस-1-2024, तददिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4/ परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3 ।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।